न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या –144/2016/225 आर टी ए

द्रोपती पुत्री स्व. रामप्रताप० पत्नि कृष्णलाल जाति जाट निवासी गांव लाधूवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

––अपीलांट

बनाम

1. राजाराम पुत्र स्व. रामप्रताप जाति जाट निवासी उमेवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. रामप्यारी पत्नि स्व. रामप्रताप जाति जाट निवासी उमेवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. श्योपत पुत्र स्व. रामप्रताप जाति जाट निवासी उमेवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
4. विद्यादेवी पुत्री स्व. रामप्रताप० पत्नि नत्थुराम जाति जाट निवासी ढाणी चक 17 एसपीएम तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
5. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ पटियाला शाखा गोलूवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
6. स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील गोलूवाला जिला हनुमानगढ़।

–––रेस्पो0/अप्रार्थीगण

7. गुलीदेवी पुत्री स्व. रामप्रताप० पत्नि नानकराम जाति जाट निवासी गणेद्दागढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़।

––तरतीबी रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्व आदेद्दा दिनांक 28.06.2016 सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी राजस्व० पीलीबंगा प्रकरण संख्या 36/2015 अनवानी गुलीदेवी आदि बनाम राजाराम आदि

उपस्थित :–

श्री लालचंन्द वर्मा अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री विजय कौद्दिक अधिवक्ता रेस्पाडेण्ट सं. 1
श्री लोकेद्दा शर्मा अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 3
श्री खुद्दाकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 6

निर्णय दिनांकः–8.03.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अपीलांट एवं रेस्पो0 सं. 7 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने पिता स्व. रामप्रताप की खातेदारी भूमि चक 6 यूएमडब्ल्यू तहसील पीलीबंगा खाता सं. 88/85 तादादी 4.934 है0 व खाता सं. 110/103 तादादी 4.427 है0 तथा चक 9 एसपीएम तहसील सादुलद्दाहर के खाता सं. 61/46 तादादी 3.036 है0 कुल 14.168 है0 यानि 56 बीघा मे बतौर विधिक वारिस नीहित अपने 1/6–1/6 हिस्सा की खातेदारी अधिकारो की घोषणा खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वादपत्र प्रस्तुत किया तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रस्तुत कर रेस्पो0 सं. 1 ता 4 के विरूद्ध इस आद्दाय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया कि रेस्पो0

गलत एवं विधि दस्तावेजो के आधार पर यह भूमि अपने नाम दर्ज करवाई है तथा वे इस भूमि को रहन बैय व मुन्तकिल करने का कटिबद्ध है अतः उन्हे उक्त कृषि भूमि को किसी भी प्रकार से रहन बैय व मुन्तकिल करने से निषिद्ध किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेद्दा के जरिये प्रार्थन पत्र दिनांक 28.06.2016 को खारिज कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेद्दा की है।

2. उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेद्दा गलत व विधि विरूद्ध एवं अनुचित होने के कारण खारिज योग्य है। अपीलांट व रेस्पो0 सं. 7 का यह स्पष्ट कथन था कि उनके द्वारा प्रद्दनगत भूमि के संबंध मे अपना हक तर्क करने का कोई दस्तावेज निष्पादित नही किया कि अपीलांट व रेस्पो0 सं. 7 के अनपढ़ एवं पर्दानसीन होने का फायदा उठाकर ठेकानामा का कहकर मिथ्या दस्तावेज तैयार करवाये है। प्रद्दनगत दस्तावेजो की वैद्यता साक्ष्य उपरांत तय होनी थी। अपीलांट व रेस्पो0 सं. 7 स्वीकृततः स्व. रामप्रताप की जायज वारिस है तथा इस भूमि मे उनका 1/6–1/6 हिस्सा विरासतन प्राप्त हुआ था।प्रद्दनगत भूमि रेस्पो0 ने विधि विरूद्ध दस्तावेजो के आधार पर राजस्व रिकार्ड मे अपने नाम दर्ज करवाई है तथा दौराने विचारण इन प्रविष्टियों का अनुचित फायदा उठाकर रेस्पो0 द्वारा भूमि रहन बैय व मुन्तकिल कर दिये जाने से अपीलांट व रेस्पो0 सं. 7 को होने वाली अपूर्णनीय क्षति के बिन्दू को अधीनस्थ न्यायालय ने अनदेखा किया है। अपीलांट व रेस्पो0 सं. 7 ने वादपत्र मे तथ्य व विधि के सारवान प्रद्दन अन्तवर्लित है जिनका निस्तारण विचारण उपरांत होना है। ऐसी स्थिति मे प्रद्दनगत भूमि के संबंध मे बैय व मुन्तकिल न किये जाने का सगिन जारी किया जाना न्यायहित मे आवद्दयक था। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेद्दा दिनांक 28.6.2016 अपास्त किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि स्व. रामप्रताप के नाम दर्ज थी जिसमे अपीलांट व रेस्पो0 सं. 4 व 7 के द्वारा अपना समस्त हक व हिस्सा रेस्पो. के हक मे जरिये दस्तबरदारी के त्याग किया हुआ है जो पंजीयन शुदा है। अपीलांट व रेस्पो0 सं. 4 व 7 के द्वारा स्व. रामप्रताप की भूमि मे अपना हक हिस्सा त्याग करने के उपरांत उक्त रेस्पो0 के नाम दर्ज हुई है। अपीलांट व रेस्पो0 सं. 4 व 7 का कोई हक व हिस्सा शेष नही रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अपीलांट/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आरटीए खारिज किया गया है। जो सही है। अधिवक्ता रेस्पो0 द्वारा अपनी बहस के समर्थन मे आरआरटी 2013 पेज 133,

आरआरटी 2009–10 पेज 625, आरआरडी 2003 पेज 533, आरबीजे 2004 पेज 163 न्यायिक दृष्टांत पेद्दा किये। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

5. उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। प्रद्दनगत भूमि जो स्व. रामप्रताप अपीलाण्ट एवं रेस्पो0 के पिता के नाम दर्ज थी जिसमे अपीलांट व रेस्पो0 सं. 4 व 7 द्वारा अपना समस्त हक व हिस्सा का त्याग जरिये दस्तबरदारी दिनांक 06.02.97 को रेस्पो. सं. 1 ता 3 के पक्ष मे कर दिया गया। जिसके उपरांत उक्त भूमि रेस्पो0 सं. 1 ता 3 के नाम दर्ज की गई। ऐसी स्थिति मे अपीलांट व रेस्पो0 सं. 4 व 7 द्वारा निष्पादित दस्तबरदारी संबंधी प्रद्दन का विनिद्दचयन विचारण न्यायालय द्वारा किया जाना है। परन्तु राजस्व रिकार्ड के अनुसार अपीलांट व रेस्पोडेन्टस के पिता/पति के नाम भूमि स्व. रामप्रताप के देहान्त के उपरांत दस्तबरदारी होने बाद विरासत के आधार पर दर्ज हुई है। राजस्व अभिलेख मे वादग्रस्त भूमि रेस्पो0 सं. 1 ता 3 के नाम अंकित है। इसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट व रेस्पो0 सं. 4 व 7 के द्वारा अपना तमाम हक व हिस्सा को मुताबिक पंजीयनद्युदा दस्तावेज दस्तबरदारी के रेस्पो0 सं. 1 ता 3 के पक्ष मे त्याग किया हुआ है जिससे अपीलांट व रेस्पो0 सं. 7 का कोई हक व हिस्सा विवादित भूमि मे शेष होना नही पाये जाने से प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दू अपीलांट व रेस्पो0 सं. 7 के पक्ष मे नही होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए खारिज किया गया जिसमे बिना किसी प्रचि यात्मक त्रुटि के हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नही है। इसलिए अपील अपीलांट सारहीन होने के खारिज किये जाने योग्य है।

6. अतः अपील अपीलाण्ट सारहीन होने के कारण अपील खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेद्दा दिनांक 28.06.2016 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार हो। नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.03.2018 को मेरे द्वारा लिखया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

हरभान मीणा आर.ए.एस.०
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ